

मूल्य २५ न० पै०

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम १९५९ की धारा ४०२ के अन्तर्गत मुख्य नगर अधिकारी की पूर्व प्राप्ति लिखित अनुज्ञा के लिये प्रार्थना पत्र

सेवा में,

मुख्य नगर अधिकारी  
नगर महापालिका, लखनऊ

महोदय,

मेरा

(१) एक नई फैक्ट्री/कारखाना/कार्य स्थान/नानवाई की दूकान स्थापित करने का विचार है।  
अथवा

(२) भू-गृहादि नम्बर..... मोहल्ला.....  
वाड..... से भू-ग्रहादि नम्बर.....  
मोहल्ला..... वाड.....  
लखनऊ में अपनी फैक्ट्री/कारखाना/कार्य स्थान/नानवाई की दूकान स्थानान्तरित करने का विचार है।

अथवा

(३) फैक्ट्री/कारखाना/कार्यस्थान/नानवाई की दूकान की तीन वर्ष से कम अवधि तक बन्द रखने के पश्चात् दुबारा खोलने या नवीकरण का विचार है।

अथवा

(४) फैक्ट्री/कारखाना/कार्य/नानवाई की दूकान का क्षेत्र या उसकी सीमाओं को बढ़ाने अथवा विस्तृत करने का विचार है।

विवरण

१—मालिक अथवा भगीदार का नाम.....

२—माता पिता/पति का नाम.....

३—पूरा पता.....

४—उप कार्य, व्यापार अथवा वयासाय का स्वरूप जो किया जाता है या जिसका करना अभिप्रेत हो।.....

५—फैक्ट्री/कारखाना/कार्यस्थान/नानवाई की दूकान का नाम.....

६—उस भू-गृहादि का नम्बर, मुहल्ला और वाड जिसमें पद पाच में वर्गित कार्य किया है या करने का विचार है।.....

७—भू-गृहादि के चारों ओर का संक्षिप्त विवरण.....

८—क्या उक्त भू-गृहादि के निर्माण का मानचित्र स्वीकृत हो चुका है अथवा वह अनधिकृत निर्माण है.....

९—जिस शक्ति के प्रयोग करने का विचार है उसकी रीति तथा मात्रा.....

१०—क्या इससे पूर्व अज्ञा प्राप्त करने के लिये कोई प्रार्थना पत्र दिया था, यदि हां तो वह स्वीकृत हुआ या अस्वीकृत।.....

११—पूर्व गामी वर्ष में अज्ञा का नम्बर तथा तारीख (यदि कोई हो).....

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम १९५९ की धारा ४०२ के अन्तर्गत कृपया मुझे अनुज्ञा प्रदान करें अथवा अनुज्ञा का नवीनीकरण स्वीकृत करें।

मन्दीय

दिनांक .....

प्रार्थी के हस्ताक्षर